कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 4390/ 14–1 आगरा : दिनांक : मार्च 14 2024

सेवा में,

राज्य प्रमुख
रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0
डीएलएफ सायबर सिटी फेज–2
गुरूग्राम।

विषय : जनपद आगरा में रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0 द्वारा आगरा–जगनेर मार्ग किमी0 243 चैनेज 242.576 के खसरा संख्या–316 ग्राम नगला दूल्हे खाँ तहसील खेरागढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2179434 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 06 / 166 / 2023 / एफ.सी. / 542 दिनांक 12.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनबद्वता पोर्टल पर अपलोड करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा
2. प्रयोक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार **शुद्व वर्तमान मूल्य** (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 208742.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0–2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 577650.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रति पोर्टल पर अपलोड करें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।
7. प्रयोक्ता द्वारा शर्त सं0–06 से 24 तक की समस्त शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में वचनवद्वता प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

भवदीय

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-20/315